न्यायालय अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।
जी0आर0नं0ः–244/2022
दाउदनगर थाना कांड संख्या ः–125/2022

28.04.2022 ट्रैक्टर निबंधन सं0–BR26GB5966 एवं टेलर निवंधन संख्या–BR26GB6092 के स्वामी रिता देवी की ओर से दिनांक–19.04.2022 को दाखिल आवेदन को संचालित करने हेतु एक आवेदन दाखिल किया गया ।

विद्वान अधिवक्ता दिनांक–19.04.2022 को दाखिल आवेदन के आलोक में निवेदन करते है कि उक्त ट्रैक्टर निबंधन सं0–BR26GB5966 एवं टेलर निवंधन सं0–BR26GB6092 दाउदनगर थाना द्वारा दिया जप्त किया गया है। उक्त वाहन का स्वामी आवेदक है । वाहन जप्त रहने से वाहन मालिक को आर्थिक नुकसान हो रहा है । अतः आवेदक के पक्ष में उक्त वाहन को मुक्त किया जाय।

उक्त आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सविस्तार सुना । अभिलेख का परिशीलन किया, जिससे विदित होता है कि उक्त ट्रैक्टर निबंधन सं0–BR26GB5966 एवं टेलर निवंधन सं0–BR26GB6092 दाउदनगर थाना द्वारा जप्त किया गया है । उक्त वाहन का जप्ती सूची अभिलेख पर उपलब्ध है। संबंधित थाना द्वारा इस आशय का प्रतिवेदन समर्पित किया गया है कि ''उक्त वाहन का अनुसंधान पूर्ण है, उक्त वाहन को मुक्त किया जा सकता है ''। उक्त वाहन पर बालू चोरी का आरोप है। अभिलेख पर आवेदक के द्वारा बालू चोरी से सम्बन्धित हरजाना की राशि मो0–31,500/–रूपया जमा किया गया है, जिससे संबंधित प्रतिवेदन जिला खनन कार्यालय, औरंगाबाद के द्वारा पत्रांक–533/ख0, दिनांक–23.03.2022 के तहत समर्पित किया गया है, जो अभिलेख पर है । उक्त वाहन का स्क्रीन प्रतिवेदन कार्यालय जिला परिवहन पदाधिकारी, औरंगाबाद के द्वारा पत्रांक–479/परि0 दिनांक–21.04.2022 के तहत समर्पित किया गया है, जिसमें उक्त वाहन का स्वामी का नाम रिता देवी, ट्रैक्टर निबंधन सं0–BR26GB5966, इंजन सं0–E3636449, चेसिस सं0–T053567366EK एवं टेलर निवंधन संख्या–BR26GB6092, इंजन सं0–00000, चेसिस सं0–00SPP289 अंकित है । उक्त वाहन के स्वामी रिता देवी की ओर से उक्त ट्रैक्टर एवं टेलर का स्क्रीन प्रतिवेदन का हस्ताक्षरित एवं मुहरांकित प्रति एवं बीमा की छायाप्रति दाखिल किया गया, जिससे विदित होता है कि उक्त वाहन का निवंधन संख्या, चेसिस संख्या एवं इंजन संख्या, जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अनुसार है । उक्त ट्रैक्टर की तंदुरूस्ती दिनांक–13.03.2024 एवं टेलर की तंदुरूस्ती दिनांक–28.03.204 तक, वाहन का अद्यतन कर भुगतान एकमुश्त की गई है, जबकि उक्त वाहन दिनांकः–13.02.2023 की मध्य रात्रि तक बीमित है। वाहन व्यवसायिक वाहन के रूप में पंजीकृत है लेकिन आवेदक की ओर से परमिट की प्रति दाखिल नही किया गया है । कागजात मिलान के उपरांत आवेदक को कागजात वापस कर दिया गया ।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के अवलोकनार्थ आवेदक रिता देवी के पक्ष में उक्त जप्त ट्रैक्टर निबंधन सं0–BR26GB5966, इंजन संख्या–E3636449, चेसिस सं0–T053567366EK एवं टेलर निवंधन सं0–BR26GB6092, इंजन सं0–00000, चेसिस सं0–00SPP289 को मुक्त करना न्यायोचित समझता हूँ । ऐसी स्थिति में उपरोक्त आवेदक रिता देवी के पक्ष में उक्त ट्रैक्टर निबंधन सं0–BR26GB5966 एवं टेलर निवंधन सं0–BR26GB6092 को मो0–7,00,000X2 के समान राशि के क्षतिपूर्ति बंधपत्र दाखिल करने पर इस शर्त के साथ मुक्त करने का आदेश दिया जाता है कि उक्त ट्रैक्टर एवं टेलर का आर.सी. का स्क्रीन प्रतिवेदन की छायाप्रति एवं बीमा की छायाप्रति की सत्यापित प्रति जो गजटेड पदाधिकारी/नोटरी पब्लिक से सत्यापित हो, दाखिल करेगा । आवेदक इस आशय का एक शपथ पत्र भी दाखिल करेगा कि उक्त ट्रैक्टर एवं टेलर के मुक्ति के एक माह के अंदर ट्रैक्टर एवं टेलर का परमिट की अद्यतन प्रति की छायाप्रति की सत्यापित प्रति दाखिल करेगा । वाहन मुक्ति के पश्चात् वाद के निष्पादन तक वाहन के रंगरूप–स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं करेगा, बिक्रय नही करेगा, न्यायालय द्वारा मांग किये जाने पर उसे न्यायालय में प्रस्तुत करेगा तथा उक्त वाहन का जो कागजात दाखिल किया गया है वह सत्य है।

थाना प्रभारी दाउदनगर को निर्देश दिया जाता है कि उचित पहचान पर आवेदक के पक्ष में उक्त वाहन को पंचनामा बनाते हुए मुक्त करें ।

कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि आवेदक द्वारा क्षतिपूर्ति बंधपत्र दाखिल करने एवं स्वीकृति उपरांत उक्त आदेश के आलोक में मुक्ति आदेश निर्गत करें ।

अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।